न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2024/336

1. बजरंग लाल पुत्र श्री गंगाराम, जाति दरोगा, आयु 57 वर्ष, निवासी दूदू तहसील दूदू जिला जयपुर (राजस्थान)

—अपीलांट

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र श्री जेठमल, जाति दरोगा, निवासी दूदू तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
2. जगमोहन पुत्र श्री जेठमल, जाति दरोगा, निवासी दूदू, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
3. ओम प्रकाश पुत्र श्री जेठमल, जाति दरोगा, निवासी दूदू, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री जेठमल, जाति दरोगा, निवासी दूदू तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर
5. अशोक कुमार पुत्र श्री जेठमल, जाति दरोगा, निवासी दूदू तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
6. तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

—रेस्पोडेंट्स

7. बद्रीनारायण पुत्र श्री गंगा राम, निवासी कुन्दन नगर, अजमेर, जिला अजमेर।
8. विजय लक्ष्मी पुत्री श्री गंगा राम, निवासी सोडाला, जयपुर जिला जयपुर ।
9. राजलक्ष्मी पुत्री श्री गंगा राम, निवासी फाई सागर रोड, अजमेर, जिला अजमेर।

—रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 14.10.2008, प्रकरण संख्या 95/2007, बउनवानी मूलचन्द बनाम जगमोहन व अन्य, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध।

उपस्थित—

1. श्री कृष्ण कुमार पारीक वकील अपीलांट

निर्णय

दिनांक—16.07.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, दूदू, जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 14.10.2008 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा—5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

2. उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला दूदू के उक्त निर्णय दिनांक 14.10.2008 से व्यथित होकर अपीलान्ट बजरंग पुत्र श्री गंगाराम जाति दरोगा द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला दूदू दिनांक 14.10.2008 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

3. अपील प्रस्तुत होने पर अपीलांट के योग्य अधिवक्ता की बहस, बहस एडमिशन पर सुनी गई।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 125, 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 एक ही परिवार के सदस्य है एवं स्व. जेठमल के पुत्र है तथा प्रार्थीगण के दादा बालू थे, जिनका एवं जेठमल जी का स्वर्गवास हो चुका है जिनके कानूनी वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 है। राजस्व कार कुनानों ने स्व0 जेठमल की वल्दियत गोर्वधन राजस्व रिकॉर्ड दर्ज कर दी गई है जबकि जेठमल की वास्तविक वल्दियत बालू है। तदोपरान्त माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई करते हुये दिनांक 14.10.2008 को निर्णय पारित कर, खातेदार जेठमल की वल्दियत जेठमल पुत्र गोवर्धन दरोगा के स्थान पर जेठमल पुत्र बालू दरोगा अंकित करने के आदेश प्रदान कर दिये है।माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार का जवाब लिया जाना आवश्यक था, जिससे परन्तु राजस्व रिकार्ड की वास्तविक स्थिति सामने आ सके, माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार के जवाब के बिना ही रिकार्ड दुरूस्ती का आदेश पारित कर दिया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को वाद की तरह ट्रायल की और पक्षकारान के बयान लिये तथा उक्त बयानों के आधार पर निर्णय पारित कर दिया है जबकि धारा 136 एल आर एक्ट के तहत किसी प्रकार के कोई बयान आदि लिए जाने का न्यायालय को कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं है, के बावजूद भी कानून के विपरीत जाकर पक्षकारान के बयान लिए जाकर, बयानों के आधार पर निर्णय पारित कर दिया है, जो धारा 136 एल आर एक्ट के प्रावधानों के विपरीत होने से पारित निर्णय निरस्तनीय है । यह कि जेठमल पुत्र गोवर्धन तथा जेठमल पुत्र बालू का आपस में किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है तथा ना ही ऐसा कोई दस्तावेज व रिकार्ड माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है जिससे यह प्रतीत होता हो कि उक्त दोनों ही व्यक्ति एक ही व्यक्ति हो । रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 का जेठमल पुत्र गोवर्धन से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं था, के बावजूद भी रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 ने आपस में साज व मिलीभगत कर, जेठमल पुत्र गोवर्धन के स्थान पर जेठमल पुत्र बालू अंकित करवा लिया है, जबकि सेटिलमेंट के पूर्व से ही जेठमल पुत्र गोवर्धन का नाम अंकित चला आ रहा है। उक्त तथ्य की ओर भी ध्यान ना देकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित कर विधि की भारी भूल की है। रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 द्वारा करीबन 50 से 60 वर्ष के पश्चात विवादित आराजी के संबंध में कार्यवाही करना सन्देहास्प्रद प्रतीत होता है तथा निर्णय पारित होने के करीब 8 वर्ष पश्चात माननीय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना करवाना अपने आप में ही सन्देह उत्पन्न करता है। विवादग्रस्त आराजी भूमि अपीलाट व रेस्पोडेंट संख्या 7 लगायत 9 के पूर्वजों की भूमि है, जिसमें रेस्पोडेंट सख्या 1 लगायत 5 का कभी कोई हक व अधिकार नहीं रहा है तथा विवादग्रस्त भूमि जो अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 7 लगायत 9 के पूर्वजों की भूमि है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों पर गौर किये बिना एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलाधीन उपखण्ड़ अधिकारी दूदू जिला दूदू का उक्त निर्णय दिनांक 14.10.2008 को निरस्त किया जावे।

5. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 125, 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर स्व0 जेठमल की वल्दियत बालू की जगह गोर्वधन राजस्व रिकॉर्ड दर्ज कर दिये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रिकॉर्ड अवलोकन पश्चात् खातेदार जेठमल की वल्दियत जेठमल पुत्र गोवर्धन दरोगा के स्थान पर जेठमल पुत्र बालू दरोगा अंकित करने के आदेश दिनांक 14.10.2008 को दिये गये हैं। अपीलांट बजरंग लाल पुत्र श्री गंगाराम जाति दारोगाद्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी दूदू, जिला दूदू के निर्णय दिनांक 14.10.2008 के खिलाफ लगभग 16 साल बाद अपील पेश की है इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों की पुष्टि में एवं विलम्ब के कारणों की पुष्टि हेतु कोई ठोस विधिक दस्तावेज/साक्ष्य पेश भी नहीं किया है। जिससे यह साबित हो सके कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी। ऐसी दशा में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 खारिज किया जाकर अपील बहस एडमिशन के स्तर पर खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट बहस एडमिशन के स्तर पर ही निरस्त की जाती है।

(डॉ आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 16.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर